संख्या-79/2018/747/26-3-2018

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांकः 24 मार्च, 2018

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 में 08-अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिये राज्य सेवाओं के लिये परीक्षापूर्व प्रशिक्षण केन्द्र के विभिन्न मानक मदों हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-1810/स0क0/विकास/कोचिंग बजट/2017-18 दिनांक-12.12.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गयी आख्या/प्रस्ताव के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-2225-01-789-08-00-07-मानदेय में रू0-5.00 लाख, 09-विद्युत देय में रू0-30.00 लाख तथा 41-भोजन व्यय में रू0-20.00 लाख अर्थात कुल धनराशि 55.00 लाख (रू0-पच्चपन लाख मात्र) को अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-''2225-01-789-08-00-के विभिन्न मानक मदों में उपलब्ध बचतो से पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1-उपर्युक्त धनराशि के उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार उ0प्र0, इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराये जायेगें।

2-उक्त धनराशि का व्यय योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय अन्य किसी मद में कदापि नहीं किया जायेगा।

3-स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/बैंक खाता/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च,2018 तक व्यय हो सके।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-''2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो का

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-08-अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए राज्य सेवाओं हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र-00-07-मानेदय-09-विद्युत देय-41-भोजन व्यय के नामें डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में उपलब्ध बचतों से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/ बी-1-1190/ दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त 2017 द्वारा प्रशासकीय विभागों को दिये गये दिशा-निर्देशों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव।

संख्या-79/2018/747(1)/26-3-2018 तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2- महालेखाकर (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0इलहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
6- राज्य योजना आयोग अनु0-1/2, उ0प्र0 शासन।
7- निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

बी0एम0–9 (भाग–1)

पुर्नविनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन

(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर–158)

अनुदान संख्या–83–समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) वित्तीय वर्ष 2017–18 (रू0 लाख में)

| निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संकमण | | | | वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा | |
|---|---|---|---|---|---|
| लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में) | आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग | आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत | संकमित की जाने वाली धनराशि | वित्त विभाग द्वारा संकमण हेतु अनुमोदित धनराशि | संकमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2–5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना–08–अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिये राज्य सेवाओं के लिये परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र– | | | | | |
| 00– | | | | | |
| 01–वेतन | 54.51 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 4.51 |
| 03–मंहगाई भत्ता | 3.27 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.27 |
| 06–अन्य भत्ते | 2.94 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.94 |
| योग | 60.72 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 5.72 |

| निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संकमण | | | | वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा | |
|---|---|---|---|---|---|
| लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में) | वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग | वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय | संकमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8) | वित्तविभाग द्वारा अनुमोदित संकमण की धनराशि | संकमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग(8+11) |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना–08–अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिये राज्य सेवाओं हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र– | | | | | |
| 00– | | | | | |
| 07–मानदेय | 50.00 | 55.00 | 5.00 | 5.00 | 55.00 |
| 09–विद्युत देय | 15.00 | 45.00 | 30.00 | 30.00 | 45.00 |
| 41–भोजन व्यय | 30.00 | 50.00 | 20.00 | 20.00 | 50.00 |
| योग | 95.00 | 150.00 | 55.00 | 55.00 | 150.00 |

(1) स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:– आवश्यकता के अनुसार बचत है।

(2) स्तम्भ–8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 में अंकित अधिक व्यय निम्न कारणों से है– मानक मद में राज्य सरकार की बचनबद्ध देयता के सापेक्ष कम बजट प्राविधान/धनराशि कम पड़ने के कारण उक्त धनराशि की आवश्यकता है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुर्नविनियोग में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर 150, 151, 154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या–आर0ई0– 585 /दस–2018 दिनांक 23 मार्च ,2018

सेवा में,
महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम
उ0प्र0, इलाहाबाद।

(रवि शंकर मिश्र)
अनु सचिव
समाज कल्याण विभाग।

मनोज सिंह
प्रमुख सचिव
समाज कल्याण विभाग

so bm 9

page 185

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

पृ0संख्या-79/2018/747(1)/26-3-2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम, उ0प्र0,इलाहाबाद ।
2-महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) उ0प्र0इलाहाबाद।
3-निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
4-मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन,लखनऊ।
5-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
6-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)
7-वित्त नियत्रंक, समाज कल्याण
8- निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
9- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)
10- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(रवि शंकर मिश्र)
अनु सचिव

so bm 9



http://sr

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।